उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 209-A ..../रा०उ०शि०प०/20
दिनांक.....24.7.2014.....

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-455/सत्तर-2-2014-2(593)/2008टीसी

लखनऊः दिनांक : 22 जुलाई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

प्रबंधक, रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, अम्बावाय, झांसी द्वारा रिट याचिका संख्या-32933/2014 रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7-7-2014 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बी0एड0 पाठ्यक्रम की दिनांक 01-07-2013 से स्थायी सम्बद्धता हेतु संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- रिट याचिका संख्या-32933/2014 रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7-7-2014 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:-

According to instruction of Sri Neeraj Tiwari, learned counsel for the respondents 2 and 3, the necessary reports have already been forwarded to the Secretary, Higher Education, Anubhag-II, Lucknow, Govt. of U.P. In view of the above, let the learned Standing Counsel representing respondent No.1 seek instructions as to what decision has been taken in the matter.
Put up/list on 16th July, 2014. In the meantime, if no decision has been taken, the respondent No.1 will endeavour to take a decision in the matter and inform the Court accordingly on the next date date.
Order Date :- 7.7.2014

3- सूच्य है कि विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 14-11-2011 द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2012-13 हेतु सशर्त सम्बद्धता दिये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 9 मई, 2012 द्वारा निम्नलिखित कमियों के कारण मात्र शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी:-

> "एनसीटीई के पत्र दिनांक 21 मार्च, 2009 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में 200 सीटों की मान्यता प्राप्त है परन्तु अब महाविद्यालय का परिसर परिवर्तित होकर ग्राम-अम्बावाय, झांसी में स्थित है, इस प्रकार परिवर्तित स्थल पर महाविद्यालय को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है।"

4- इस संबंध में पुनः विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालय को 1-7-2013 से बी0एड0 पाठ्यक्रम में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्रपत्र-ए पर उपलब्ध कराया गया। विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव में निरीक्षण मण्डल से प्राप्त आख्या संलग्न नहीं है। यद्यपि एनसीटीई से स्थल परिवर्तन के संबंध में मान्यता पत्र दिनांक 7 जून, 2012 द्वारा प्राप्त है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत महाविद्यालय को दिनांक 1-7-2013 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी।

5- रिट याचिका संख्या-32933/2014 रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7-7-2014 के

Yogesh/Anivedan nistaran 13

24/07/14

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इलाहाबाद
संख्या 208-A /उ0शि0प0/20
दिनांक 24-7-14

अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01-07-2013 से स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति की गई है तथा एन0सी0टी0ई0 से स्थल परिवर्तन के संबंध में मान्यता पत्र दिनांक 7 जून, 2012 प्राप्त है, अतः संस्था को शासनादेश संख्या-सम्ब0- 85/सत्तर-2-2013-2(593)/2008 टीसी, दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा दिनांक 01-07-2013 से एक वर्ष हेतु दी गई अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति में संशोधन करते हुए दिनांक 1-7-2013 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

6- उक्त आदेश रिट याचिका संख्या 32933/2014 रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7-7-2014 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव

संख्या- 455 (1)/सत्तर-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या 32933/2014 रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7-7-2014 के अनुपालन में।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
(5) सचिव/प्रबंधक, रमानाथ विमलादेवी खैरा इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, अम्बावाय, झांसी।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव